अध्याय-13

विश्रान्ति

रूपरेखा

1. विश्रान्ति की परिभाषा तथा कार्यक्षेत्र 163
2. विश्रान्ति के दौरान किये जाने कार्यों का प्रक्रमवार विवरण एवं व्याख्या– धारा 10 विश्रान्ति के दौरान कार्य 164
3. विश्रान्ति में कार्य सम्पादित करने हेतु प्राधिकार तथा कार्य सम्पादन के प्रक्रम 165
4. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5क) के अनुसार विश्रान्ति के प्रथम प्रक्रम के अन्तर्गत आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा किया जाने वाला कार्य 166
5. विश्रान्ति के अन्तर्गत प्रथम प्रक्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की त्रुटिहीन तैयारी एवं प्रकाशन 169
6. खानापुरी प्रक्रम का पूरा होना तथा खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी 170
7. विश्रान्ति के दौरान जाँच की कार्रवाई का क्षेत्र एवं अर्थ 174
8. अंतिम अधिकार अभिलेख के वितरण की कार्रवाई एवं संधारण 175

1. विश्रान्ति की परिभाषा तथा कार्यक्षेत्र–बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के अध्याय-1 की धारा 2 की उपधारा (xix) में विश्रान्ति की परिभाषा, अध्याय-2 की धारा 7 की उपधारा (5क) में विश्रान्ति के दौरान कार्य करने वाले प्रशाखाओं तथा उनके कार्यक्षेत्र के विषय, धारा 10 में विश्रान्ति के प्रक्रमवार कार्यों को उल्लेखित किया गया है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 2(xix) में विश्रान्ति की परिभाषा तथा नियमावली, 2012 के अध्याय-(VIII) में जो विश्रान्ति प्रक्रिया से सम्बन्धित है, के नियम 14 के उपनियम (1), (2), (3), (4), (5) एवं (6) में विश्रान्ति के प्रक्रमवार कार्यों को परिभाषित करते हुए विवेचित किया गया है, जो निम्नरूपेण है–

(i) विश्रान्ति की परिभाषा–धारा 2 की उपधारा (xix) में 'विश्रान्ति' से सामान्यतया अभिप्रेत है वह चरण जिसके दौरान खानापुरी चरण के बाद वाले चरण के लिए अभिलेख तैयार किये जाते हैं।

(ii) विश्रान्ति के दौरान कार्य करने वाले प्रशाखा तथा उनके कर्तव्य क्षेत्र के विषय–धारा 7 की उपधारा (5क) में विश्रान्ति-धारा 7 की उपधारा (3), (4) तथा

(5) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किए जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच का कार्य विश्रान्ति के दौरान पूरा किया जाएगा। विश्रान्ति का कार्य दो प्रशाखाओं यथा (1) आलेख तथा रकबा प्रशाखा और (2) खेसरा प्रशाखा में किया जाएगा।

2. विश्रान्ति के दौरान किये जाने कार्यों का प्रक्रमवार विवरण एवं व्याख्या–धारा 10 विश्रान्ति के दौरान कार्य–अधिनियम की धारा 7 एवं (9) के अनुसार आपत्ति तथा अपीलों के निपटारा के बाद विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरमीम इत्यादि विहित रीति से किया जाएगा।

नियमावली का नियम 14. विश्रान्ति–(1) खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों का, मानचित्र सहित अधिकार-अभिलेख प्रारूप में आवश्यक जोड़/बदलाव करते हुए पालन किया जाएगा जिसे ''तरमीम'' कहा जाएगा।

(2) ग्रामों की सीमा की ग्राम के विगत मानचित्र एवं पूर्व के विभिन्न प्रक्रम पर पारित आदेशों से विस्तृत तुलना की जाएगी तथा इस प्रक्रिया को ''मुकाबला' कहा जाएगा। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि प्रारूप अधिकार-अभिलेख में दर्शाए गए भू-खण्डों का रकबा सम्बन्धित मानचित्र में दर्शाए गए रकबा से मेल खाता हो।

(3) अधिकार-अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत तैयार किए गए भू-खण्डों के रकबा तथा राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल एवं चौहद्दी का, विगत सर्वे-मानचित्र के प्रत्येक भू-खण्ड के रकबा तथा राजस्व ग्राम की चौहद्दी सहित राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल से गहन तुलना, जाँच-पड़ताल तथा सत्यापन किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को ''जाँच'' कहा जाएगा। सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जाँच के बाद समाधान हो जाने पर प्रारूप प्रकाशन के बाद यथा तैयार नया रकबा पारित करेगा।

(4) सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा नया रकबा पारित होने के उपरांत अमीनों/अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयरों द्वारा प्रपत्र-18 में नया तेरीज अर्थात 'नये अधिकार-अभिलेख का सार' तथा प्रपत्र-19 में नयी खेसरा पंजी तैयार की जाएगी।

(5) अधिकार-अभिलेख को उसके अन्तिम प्रकाशन के पूर्व, रैयतों के नाम के हिन्दी वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को 'तरतीब' कहा जाएगा।

(6) समुचित जाँच-पड़ताल एवं तुलना के बाद नए तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर, अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र-20 में चार प्रतियों में अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को ''सफाई'' कहा जाएगा। अधिकार-अभिलेख की एक प्रति जो ''रैयती फर्द'' कहलाएगी, सम्बन्धित रैयतों को उपलब्ध करायी जाएगी। द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु सम्बन्धित अंचल अधिकारी को भेज दी जाएगी। तृतीय प्रति जो 'मालिकी फर्द'' कहलाएगी, सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता को उपलब्ध करायी जाएगी।

चतुर्थ प्रति परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार की अभिरक्षा में रहेगी।

3. विश्रान्ति में कार्य सम्पादित करने हेतु कर्मचारी एवं प्राधिकारी तथा कार्य सम्पादन के प्रक्रम–बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 7 की उपधारा (5क), धारा 10 तथा नियमावली, 2012 के नियम 14 के प्रावधान से स्पष्ट होता है कि विश्रान्ति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का प्रक्रम दो चरणों में होना है तथा यह कार्य शिविर मुख्यालय/कार्यालय के दो प्रशाखाओं यथा–

(1) आलेख तथा रकबा प्रशाखा

(2) खेसरा प्रशाखा द्वारा क्रियान्वित एवं सम्पादित किया जाना है।

अतः इन दोनों प्रक्रमों के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रशाखाओं का गठन बन्दोबस्त पदाधिकारी के आदेश पर प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिला बन्दोबस्त कार्यालय स्तर पर और कार्यों की अधिकता को देखते हुए अनुमंडल या अंचल स्तर पर एक वरीय सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में निम्नलिखित कर्मियों के साथ विश्रान्ति प्रशाखा का गठन किया जाएगा यथा–

(1) प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण स० ब० प०

(2) कानूनगो

(3) अमीन

(4) लिपिक

(5) कार्यपालक सहायक

उपरोक्त सभी कर्मियों की संख्या का निर्धारण शिविर में कार्य के अनुसार किया जाएगा।

अधिनियम एवं नियमावली में विश्रान्ति से सम्बन्धित किए गए प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि विश्रान्ति का कार्य दो प्रक्रमों में निम्नरूपेण है–

(i) अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व तक के सभी कार्यों की जाँच अथात् अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5क) के अनुसार किया जाने वाला कार्य।

(ii) खानापुरी अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दाखिल दावों/आपत्तियों के निपटारा (नियम 13 के अन्तर्गत) कर दिए जाने के बाद प्रपत्र 18 में नए तेरीज (अधिकार अभिलेख) के निर्माण के पूर्व अर्थात् अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के अनुसार किया जाने वाला कार्य।

उल्लेखित उद्धरण स्पष्ट करते हैं कि विश्रान्ति का कार्य प्रथम चरण में दो प्रशाखाओं द्वारा एवं अंतिम प्रकाशन के पूर्व एक प्रशाखा द्वारा किया जाना है। अतः विश्रान्ति के प्रथम चरण में किए जानेवाले कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि दो प्रशाखाओं में

अलग-अलग सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रशाखाओं का गठन किया जाए। प्रथम आलेख एवं रकबा प्रशाखा के लिए, द्वितीय खेसरा प्रशाखा के लिए।

एक सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में एक कानूनगो एवं 3 अमीन की सहायता से अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के पूर्व क्रमशः तरमीम, मुकाबला, जाँच, तरतीब तथा सफाई एवं तत्पश्चात् अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन [नियम 11 के उपनियम (1)] के अन्तर्गत तैयार किये जाने के बाद तथा नियम 12 के उपनियम (1) एवं (2) के अनुसार प्रकाशन के बाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित लगान दर तालिका के आधार पर सम्बन्धित राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयतवार धारित भूमि जिसकी प्रविष्टि अधिकार अभिलेख प्रारूप में की गई है, अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4)(i) एवं (ii) के अनुसार प्रकाशन किया जाएगा एवं प्राप्त दावों/आक्षेपों की सुनवाई कर अंतिम लगान दर तालिका तैयार किया जाएगा जिसे सम्बन्धित शिविर प्रभारी द्वारा जाँच कर बन्दोबस्त पदाधिकारी के पास यथावश्यक स्वीकृति हेतु उपस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

लगान दर तालिका को सम्बन्धित शिविर प्रभारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित दर-तालिका के आधार पर तैयार किया जाना है। साथ ही इस लगान दर तालिका का प्रकाशन एवं रैयतों से प्राप्त आपत्तियों के आलोक में संशोधन भी करना है। लगान दर तालिका की सम्पुष्टि बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा की जानी है।

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अधिकार अभिलेख अन्तिम प्रकाशन के पूर्व विश्रान्ति में किए जाने वाले कार्य में एक महत्वपूर्ण कार्य है शिविर कार्यालय द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई लगान दर तालिका की जाँच करना ताकि बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निर्वाध तरीके से इसकी सम्पुष्टि और स्वीकृति दी जा सके एवं अन्तिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जा सके।

4. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5क) के अनुसार विश्रान्ति के प्रथम प्रक्रम के अन्तर्गत आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा किया जाने वाला कार्य– आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा किये जाने वाले प्रथम प्रक्रम के कार्य के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5क) का प्रावधान निम्नरूपेण है :–

''धारा 7 की उपधारा (3), (4) तथा (5) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किये जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच का कार्य विश्रान्ति के दौरान पूरा किया जाएगा।'' इन उपधाराओं के प्रावधानों की विवरणी निम्नवत् है–

उपधारा (3). सरकार, रैयतों के लिए सूचनाओं की तैयारी एवं सम्बन्धित रैयतों को उनका तामीला करने तथा उनपर आपत्तियां आमंत्रित करने सहित, पूर्णतः या अंशतः प्रारम्भिक अधिकार अभिलेख की तैयारी में किसी निजी एजेन्सी को लगा सकेगी। सूचनाओं पर आपत्तियां विहित रीति से संग्रहित एवं संकलित की जाएगी।

उपधारा (4). आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयती जोतों के अधिकार, स्वत्व तथा स्वामित्व के निर्धारण के विषय में अद्यतन जमीनी वास्तविकताओं, परिवर्तनों, अन्तरणों, उपविभाजनों, बंटवारों, आनुवांशिक न्यागमन, बदलैन तथा ऐसी अन्य बातों का ध्यान रखेगा।

उपधारा (5). खानापुरी दल लोक भूमि, सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसम्पत्ति, संसाधन के रूप में ली जाने वाली भूमि तथा अन्य ऐसी भूमि की पहचान तथा सीमांकन करेगा एवं उसे अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार (Drawing and Area Section) अभिलेख तथा रकबा प्रशाखा द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विवरणी निम्नरूपेण होगी–

(i) राजस्व ग्राम के विशिष्ट सीमा निर्धारण (Unique Boundry) की जाँच अर्थात् किसी ग्राम की सीमा केवल विशिष्ट रेखा द्वारा प्रदर्शित की गई है या नहीं। यदि किसी ग्राम की सीमा रेखा के निर्धारण में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों ग्रामों के अमीनों (खानापुरी दल) के साथ मिलकर सीमा विवाद का समाधान करना तथा आवश्यकतानुसार सीमा विवाद मामले में प्रभारी पदाधिकारी/बन्दोबस्त पदाधिकारी से दिशा निदेश प्राप्त करना।

(ii) यदि किसी ग्राम का मानचित्र एक से अधिक शीटों में बना है तो सभी शीटों के आपस में मिलान की स्थिति अर्थात् एक ही ग्राम के विभिन्न शीटों की सीमा के मध्य विंसगति की स्थिति तो नहीं है।

(iii) मानचित्र में कोई भू-खण्ड या खेसरा बिना नम्बरिंग के तो नहीं रह गया है। विशेषत: अमीन द्वारा स्थल सत्यापन के क्रम में एजेन्सी से प्राप्त मानचित्र में दर्शाए गए खेसरों के उप-विभाजन के मामले में।

(iv) प्रपत्र 6 में संधारित खेसरा पंजी में खेसरा का रकबा मानचित्र में प्रदर्शित उसी खेसरा के रकबा के समान है या नहीं। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र 6 में रैयतवार धारित खेसरा के रकबा का संधारण अमीन द्वारा और मानचित्र के भू-आकृति जिसे खेसरा की संज्ञा दी जाती है, के रकबा का विवरण हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जाता है।

(v) प्रपत्र 6 में संधारित ग्राम का कुल रकबा और मानचित्र में उसी के अनुसार उसी ग्राम के कुल रकबा के समान हैं या नहीं।

(vi) नियमावली के नियम 7 के उपनियम (2) ''राजस्व मानचित्र, भू-खण्डों की सघनता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न पैमानों पर तकनीकी ब्यौरा, शीर्षक तथा मानचित्र से सम्बन्धित कोई अन्य प्रासंगिक ब्यौरा निगमित करते हए तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी भू-खण्ड तथा उसकी चौहद्दी स्पष्ट रूप से दर्शायी एवं मापी जा सके'' के उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत मानचित्रों में तकनीकी ब्यौरों, शीर्षक तथा मानचित्र से सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक ब्यौरों को निगमित किया गया है या नहीं।

(vii) तैयार किए गए मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम, जिला का नाम, चौहद्दी में अंकित राजस्व ग्रामों का नाम वर्तमान में सरकार द्वारा अधिसूचित उस राजस्व ग्राम के नाम के अनुसार शुद्ध-शुद्ध अंकित किया गया है या नहीं। जिलों का नाम वर्तमान में अधिसूचित जिला के नाम के अनुसार है या नहीं।

(viii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा मानचित्र में सामान्य एवं आबादी क्षेत्र में स्केल का प्रयोग विभागीय दिशा निदेशों के आलोक में किया गया है या नहीं।

(ix) नक्शे में थाना तथा सीमा चिन्ह का अंकन है या नहीं।

(x) ग्राम सीमा विवाद पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिशा निदेशों के अनुसार बन्दोबस्त पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन किस सीमा तक हुआ है तथा प्रविष्टि का अनुपालन किस रूप में हुआ है।

(xi) हवाई सर्वेक्षण मानचित्र द्वारा समर्पित किए गए संशोधित मानचित्र पर नियम 11 के उपनियम (2) के अनुसार सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराना तथा अभिप्रमाणित किए गए खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप को नियम 12 के उपनियम (1) के अनुसार विहित स्थानों पर प्रदर्शित कराना।

खेसरा प्रशाखा का दायित्व—इस प्रशाखा द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विवरणी निम्नरूपेण सम्पादित किया जाना है—

(i) खेसरा पंजी प्रपत्र 6 [नियम 9 का उपनियम (1)] में रैयतों के नाम एवं उनके स्वामित्व वाले खेसरों की प्रविष्टि की जाँच किया जाना, विशेषकर रैयतों के धारित खेसरा के रकबा का कागजातों के आधार पर जाँच किया जाना, जिनपर परस्पर विवाद की स्थिति का उल्लेख किया गया हो।

(ii) मानचित्र में स्थल सत्यापन के क्रम में अमीन द्वारा जो खेसरों का उपविभाजन दर्शाया गया है उसके आलोक में एजेंसी द्वारा सुधार किया गया है या नहीं।

(iii) विभागीय दिशा निदेशों के अनुरूप मानचित्र की मुद्रित तथा सॉफ्ट कॉपी में खेसरों से सम्बन्धित भौतिक विवरणी या चिन्हों (अलामत चिन्हों) का संधारण किया गया है या नहीं।

(iv) अधिकार अभिलेख में भूमि तथा फसल वर्गीकरण से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण अलग से राजस्व ग्रामवार करना ताकि लगान दर तालिका निर्मित करने का आधार तैयार किया जा सके।

(v) खानापुरी पर्चा के वितरण के उपरांत रैयतों से प्राप्त दावों/आक्षेपों की पंजी प्रपत्र 10 [नियम 9 का उपनियम (10)] के संधारण की स्थिति।

(vi) प्रपत्र 11 [नियम 10 का उपनियम (1)] में रैयतों द्वारा किए गए दावा/आक्षेपों के आलोक में रैयतों को सूचना निर्गत किया गया है या नहीं।

(vii) याददास्त पंजी प्रपत्र 3(2), प्रपत्र 8 [नियम 9 का उपनियम (9)] में प्राप्त

दावा/आक्षेपों के बिन्दु पर की गई सुनवाई में पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की जाँच करना।

5. विश्रान्ति के अन्तर्गत प्रथम प्रक्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की त्रुटिहीन तैयारी एवं प्रकाशन–धारा 7 के प्रावधान मुख्यत: खानापुरी दलों के गठन तथा अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी से सम्बन्धित है। इस प्रक्रम में किस्तवार के दौरान हवाई सर्वेक्षण मानचित्र में दर्ज भू-आकृतियों जो खेसरा के रूप में जाने जाते हैं, का स्थलीय जाँच कर विहित प्रक्रियानुसार नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार सत्यापन कर यथावश्यक सुधार के बाद भू-मानचित्र का सत्यापन करते हुए उपनियम (6) के अनुसार आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है।

अत: किस्तवार के दौरान जाँच एवं सत्यापन के उपरांत तैयार मानचित्र में अंकित खेसरों के भू-स्वामित्व की जाँच एवं सत्यापन रैयत/भू-स्वामी के स्वघोषणा, खतियानी विवरणी, वंशावली, कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी पंजी आदि के आधार पर करते हुए खेसरा पंजी प्रपत्र 6 [नियम 9 का उपनियम (1)] तैयार किया जाता है और यह खेसरा पंजी (प्रपत्र 6) खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप के निर्माण का आधार स्तम्भ होती है। इस प्रकार किस्तवार के क्रियान्वयन के प्रमुख अवश्व भू-मानचित्र एवं उसमें की आकृति की फिल्ड जाँच एवं सत्यापन के उपरांत भूमि से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों तथा रैयत/भू-स्वामी के दावे की सत्यता की जाँच के बाद जो प्रविष्टि की कार्रवाई की जाती है वह महत्वपूर्ण भू-अभिलेख खेसरा पंजी होता है तथा खेसरा पंजी का निर्माण शिविर कार्यालय स्तर पर नियम 9 के उपनियम (1) में विवेचित है। विश्रान्ति के दौरान किये जाने वाले कार्य का विशेष प्रावधान अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5क) में विवेचित है यथा ''विश्रांति–धारा 7 की उपधारा (3), (4) तथा (5) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किए जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच का कार्य विश्रान्ति के दौरान पूरा किया जाएगा। विश्रान्ति का कार्य दो प्रशाखाओं यथा (1) आलेख तथा रकबा प्रशाखा और (2) खेसरा प्रशाखा द्वारा किया जाएगा।''

उल्लेखित प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि खानापुरी के दौरान तैयार किए गए खेसरा पंजी (प्रपत्र 6) के आधार पर खानापुरी पर्चा तैयार कर वितरण के उपरांत आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा अधिकार अभिलेख प्रारूप निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रम में क्रमवार किए जाने वाले कार्य निम्नवत् होते हैं जिसका प्रावधान नियमावली में निम्नरूपेण विवेचित है–

नियम 9 के उपनियम (4) के अनुसार किस्तवार के दौरान उपलब्ध कराए गए मानचित्र तथा खेसरा के वास्तविक सत्यापन के उपरांत खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में प्रविष्टि के उपरांत खानापुरी पर्चा तैयार किया जाना है जिसका प्रावधान निम्नवत् है :–

नियम 9 का उपनियम (6)–सत्यापन के उपरांत, उपलब्ध सन्दर्भ, राजस्व अभिलेखों, स्वघोषणा के सत्यापन प्रमाण पत्रों के साथ-साथ वास्तविक क्षेत्रीय सत्यापन के आलोक में खानापुरी दल रैयतवार प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा तैयार करेगा।

नियम 9 का उपनियम (7)–प्रपत्र 7 में तैयार किया गया खानापुरी-पर्चा, सरकारी भूमि/लोक भूमि से सम्बन्धित पदाधिकारियों सहित भू-धारी/स्वामी को तामील किया जाएगा। भू-धारी/स्वामी को, सुविधाजनक स्थान एवं नियत तिथि तथा समय पर खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों से अवगत भी कराया जाएगा।

6. खानापुरी प्रक्रम का पूरा होना तथा खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी–खानापुरी पर्चा के विरूद्ध प्राप्त दावों/आक्षेपों के लिए प्रपत्र 11 में सम्बन्धित को नोटिस कर तथा सुनवाई कर सम्बन्धित कानूनगो द्वारा नियम 10 के उपनियम (3) के अनुसार रैयती भूमि एवं सरकारी भूमि पर किए गए दावे का निष्पादन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किये जाने के बाद खानापुरी का प्रक्रम सामान्य रूप से पूरा हो जाता है **तथा खानापुरी के बाद अलग महत्वपूर्ण प्रक्रम प्रारम्भ होता है जो खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप निर्माण के रूप में जाना जाता है तथा शिविर मुख्यालय में इस कार्य को** सम्पन्न किये जाने का दायित्व विश्रान्ति से सम्बन्धित आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा वहन किया जाता है। इस सम्बन्ध में नियमावली के नियम 11 एवं 12 के प्रावधान निम्नरूपेण हैं :–

नियम 11. खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी–(1) खानापुरी कार्य पूर्ण होने के उपरांत मानचित्र के साथ-साथ खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरुद्ध खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में आदेशों को निगमित करते हुए प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

(2) मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख शिविर के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये जाएंगे।

नियम 12. खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन–(1) नियम 11(1) के अधीन तैयार किया गया तथा नियम 11(2) के अधीन सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गए मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप 30 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित रीति से प्रकाशित किया जाएगा :–

(i) उसे सम्बन्धित विशेष सर्वे/बन्दोबस्त शिविर में प्रदर्शित करके,

(ii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम में किसी सहज दृश्य सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करके,

(iii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करके,

(iv) उसे सम्बन्धित अंचल कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करके।

इस प्रकार विश्रान्ति के प्रथम चरण में शिविर द्वारा खानापुरी के पश्चात् अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन तक किए गए समस्त कार्यों की जाँच कर त्रुटिहीन प्रारूप के प्रकाशन के उद्देश्य को पूरा करना है।

खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी विश्रान्ति के प्रथम चरण में होती है तथा आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा अधिकार अभिलेख प्रारूप के तैयारी के पूर्व निम्नांकित कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जो निम्नरूपेण हैं–

(i) किसी ग्राम का मानचित्र एक से अधिक शीटों में बना है तो सभी शीटों के आपस में मिलान की स्थिति अर्थात् एक ही ग्राम के विभिन्न शीटों की सीमा के मध्य विसंगति की स्थिति तो नहीं है।

(ii) मानचित्र में कोई भू-खण्ड या खेसरा बिना नम्बरिंग के तो नहीं रह गया है। विशेषतः अमीन द्वारा स्थल सत्यापन के क्रम में एजेंसी से प्राप्त मानचित्र में दर्शाये गए खेसरों के उपविभाजन के मामले में।

(iii) प्रपत्र 6 में संधारित खेसरा पंजी में खेसरा का रकबा मानचित्र में प्रदर्शित उसी खेसरा के रकबा के समान है या नहीं। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र 6 में रैयतवार धारित खेसरा के रकबा का संधारण अमीन द्वारा और मानचित्र के भू-आकृति जिसे खेसरा की संज्ञा दी जाती है, के रकबा का विवरण हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा तैयार किया जाता है।

(iv) प्रपत्र में संधारित ग्राम का कुल रकबा और मानचित्रों में उसी के अनुसार उसी ग्रम के कुल रकबा के समान है या नहीं।

(v) **नियम 7 के उपनियम (2)** ''राजस्व मानचित्र भू-खण्डों की सघनता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पैमानों पर तकनीकी ब्यौरा शीर्षक तथा मानचित्र से सम्बन्धित कोई अन्य प्रासंगिक ब्यौरा निगमित करते हुए, तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी भू-खण्ड तथा उसकी चौहद्दी स्पष्ट रूप से दर्शायी एवं मापी जा सके'' के उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत मानचित्रों में तकनीकी ब्यौरों, शीर्षक तथा मानचित्र से सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक ब्यौरों को निगमित किया गया है या नहीं।

(vi) तैयार किए गए मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम, जिला का नाम, चौहद्दी में अंकित राजस्व ग्रामों का नाम, वर्तमान में सरकार द्वारा अधिसूचित उस राजस्व ग्राम के नाम के अनुसार शुद्ध अंकित किया गया है या नहीं। जिलों का नाम वर्तमान में अधिसूचित जिला के नाम के अनुसार है या नहीं।

(vii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा मानचित्र में सामान्य एवं आबादी क्षेत्र में स्केल का प्रयोग विभागीय दिशा निदेशों के आलोक में किया गया है या नहीं।

(viii) सीमा विवाद के निर्णयों के अनुसार सीमाओं का अंतिम मिलान या सरहद मिलान।

(ix) नक्शों में अंकित खेसरों एवं उसके रकबों की तुलना।

(x) **सड़क या नदी की सीमा**–नक्शे में यह सुनिश्चित कर लेना कि क्या ग्राम के सीमा के किनारे से गुजरने वाली नदी, सड़क या तटबंध दो समीपस्थ ग्रामों से होकर गुजरती है या केवल एक गांव से सम्बन्धित है।

(xi) हवाई सर्वेक्षण मानचित्र द्वारा समर्पित किये गये संशोधित मानचित्र पर नियम 11 के उपनियम (2) के अनुसार सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराना तथा अभिप्रमाणित किए गए खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप को नियम 12 के उपनियम (1) के अनुसार विहित स्थानों पर प्रदर्शित कराना।

(xii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा समर्पित किए गए मानचित्र को संरक्षित कर रखना ताकि आगे के प्रक्रमों में उसका यथावश्यक उपयोग किया जा सके।

(2) **विश्रान्ति का द्वितीय प्रक्रम निम्न स्थिति में प्रारम्भ होता है**–''अधिनियम की धारा 7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों तथा अपीलों के निपटारा के बाद विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरतीब, तरमीम आदि विहित रीति से किया जाना है। नियमावली के नियम 14 में इन कार्यों की प्रक्रिया विधि स्पष्ट की गई तथा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (xvi), (xvii), (xxi), (xxiv) तथा xxv) में परिभाषा स्पष्ट की गई है।

सामान्यत: यह कहा जा सकता है कि खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के बाद [नियम 12 के उपनियम (1)] नियम 13 के अन्तर्गत प्राप्त दावों/आक्षेपों से सम्बन्धित आपत्ति का निष्पादन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा 60 दिनों के भीतर कर दी जाती है तथा प्रारूप प्रकाशन में प्राप्त दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों का मानचित्र सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप में जोड़-बदलाव कर कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम के विश्रान्ति के दौरान अधिकार अभिलेख निर्माण की कार्रवाई में निम्नलिखित कार्यों क्रमश: तरमीम, मुकाबला, जाँच, तरतीब तथा खेसरा प्रशाखा [आलेख एवं रकबा प्रशाखा] द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

अधिकार अभिलेख के प्रपत्र 20 तथा प्रपत्र 18 में नया तेरिज अर्थात् नये अधिकार अभिलेख का सार एवं प्रपत्र 19 में नई खेसरा पंजी के निर्माण की जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उनकी परिभाषा तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या निम्नरूपेण है–

(i) धारा 2 की उपधारा (xxiv)—'तरमीम' से अभिप्रेत है शुद्धिकरण आदेश का अनुपालन।

(ii) नियम 14 का उपनियम (1)–खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रकाशन के विरूद्ध दावों /आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों का, मानचित्र सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप में आवश्यक जोड़/बदलाव करते हुए पालन किया जाएगा जिसे **तरमीम** कहा जाएगा।

(iii) धारा 2 की उपधारा (xvi)—'मुकाबला' से अभिप्रेत है तुलना।

(iv) नियम 14 का उपनियम (2)—ग्राम की सीमा की ग्राम के विगत मानचित्र एवं पूर्व के विभिन्न प्रक्रम पर पारित आदेशों से विस्तृत तुलना की जाएगी तथा इस प्रक्रिया को **मुकाबला** कहा जाएगा। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि प्रारूप अधिकार अभिलेख में दर्शाये गए भू-खण्डों का रकबा सम्बन्धित मानचित्र में दर्शाये गए रकबा से मेल खाता हो।

(v) धारा 2 की उपधारा (vi)—'जाँच' से अभिप्रेत है आपत्तियों के निपटारे के बाद की गई अभिलेखों की अन्तिम जाँच।

(vi) नियम 14 का उपनियम (3)—अधिकार-अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत तैयार किये गये भू-खण्डों के रकबा तथा राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल एवं चौहद्दी का, विगत सर्वे मानचित्र के प्रत्येक भू-खण्ड के रकबा तथा राजस्व ग्राम की चौहद्दी सहित राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल के गहन तुलना, जाँच-पड़ताल तथा सत्यापन किया जानाकहा जाएगा तथा इस प्रक्रिया को जाँच कहा जाएगा। सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जाँच के बाद समाधान हो जाने पर प्रारूप प्रकाशन के बाद यथा तैयार नया रकबा पारित करेगा।

(vii) धारा 2 की उपधारा (xxv)—'तरतीब' से अभिप्रेत है अभिलेखों का व्यवस्थापन, रैयतों के नामों के अनुसार खतियान को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना।

(viii) नियम 14 का उपनियम (5)—अधिकार अभिलेख, उसके अंतिम प्रकाशन के पूर्व रैयतों के नाम के हिन्दी वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को **तरतीब** कहा जाएगा।

(ix) धारा 2 की उपधारा (xxi)—'सफाई' से अभिप्रेत है स्वच्छ प्रति तैयार करना।

(x) नियम 14 का उपनियम (6)—समुचित जाँच-पड़ताल एवं तुलना के बाद नए तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर, अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र 20 में चार प्रतियों में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को सफाई कहा जाएगा।

(xi) धारा 2 की उपधारा (xvii)—'रदीफ' से अभिप्रेत है व्यवस्थित करना।

धारा 10 जो विश्रान्ति के दौरान के कार्य से सम्बन्धित है, के प्रावधान के अनुसार धारा 7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों के निपटारा के बाद जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरतीब, तरमीम आदि विहित रीति से किया जाता है। चुंकि वर्तमान में कम्प्यूटर का साधन

मौजूद है तथा उल्लेखित कार्य हाथ से करने के स्थान पर कम्प्यूटर के प्रयोग से कम समय में सम्पन्न किया जाना सुविधाजनक हो गया है। यानि तरतीब की कार्रवाई में अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पूर्व रैयतों के नाम हिन्दी वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा तथा सफाई प्रक्रिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर की स्वच्छ प्रति तैयार की जाएगी। तरतीब एवं सफाई के प्रक्रम के पूर्व शिविर मुख्यालय के रकबा प्रशाखा द्वारा जाँच यानि आपत्तियों के निपटारे के बाद की गई अभिलेखों की जाँच तथा तरमीम यानि शुद्धिकरण आदेश का अनुपालन किया जाना है।

7. विश्रान्ति के दौरान जाँच की कार्रवाई का क्षेत्र एवं अर्थ–बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम 14 के उपनियम (3) में प्रावधान किया गया है कि ''अधिकार अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत तैयार किए गए भू-खण्डों के रकबा तथा राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल एवं चौहद्दी का, विगत सर्वे मानचित्र के प्रत्येक भू-खण्ड के रकबा तथा राजस्व ग्राम की चौहद्दी सहित राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल से गहन तुलना, जाँच-पड़ताल तथा सत्यापन किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को **जाँच** कहा जाएगा। सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जाँच के बाद समाधान हो जाने पर प्रारूप प्रकाशन के बाद यथा तैयार नया रकबा पारित करेगा।''

इस प्रक्रिया के प्रावधान के अन्तर्गत वर्तमान मानचित्र की तुलना विगत मानचित्र के साथ किया जाना है। विगत मानचित्र की चौहद्दी और रकबा की मान्यता सिर्फ तुलनात्मक स्थिति के लिए होगी ओर जाँचोपरांत नए मानचित्र का नया रकबा सुस्पष्ट किया जाना है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की विवरणी निम्नरूपेण होगी–

(i) विगत मानचित्र के अनुसार सम्बन्धित राजस्व ग्राम के कुल रकबा के साथ वर्तमान मानचित्र के अनुसार कुल रकबा की तुलनात्मक स्थिति। यदि दोनों के कुल रकबा में 5% से अधिक का अन्तर आता है तो सत्यापन जाँच के आधार पर किया जाना है।

(ii) नियम 14 के उपनियम (1) के अनुसार तरमीम की प्रक्रिया में खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों का मानचित्र सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप में आवश्यक जोड़/बदलाव करते हुए अनुपालन किया जाना है।

इस प्रक्रिया में दो स्पष्ट कार्य होते हैं यथा :–

प्रथमतः, सुनवाई प्रक्रम के दौरान कानूनगो एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किए गए आदेश के आलोक में अधिकार अभिलेख में सुधार किया गया है अथवा नहीं।

द्वितीयतः, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा दिये गए मानचित्र में अमीन द्वारा स्थल

सत्यापन एवं सुनवाई के उपरांत अधिकार अभिलेख में रैयतों के रकबा एवं स्वामित्व के अनुसार मानचित्र में किये गए संशोधन को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा पुन: सुधारा गया है या नहीं।

इस प्रकार खानापुरी अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के बाद [नियम 12 के उपनियम (1) के अनुसार] तथा नियम 13 के अन्तर्गत प्राप्त दावों/आक्षेपों की सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निष्पादन 60 दिनों के अन्दर [नियम 13 के उपनियम (10) के अनुसार] कर दिये जाने के बाद प्रारूप प्रकाशन में प्राप्त दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों के मानचित्र सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप में जोड़-बदलाव का कार्य किया जाता है। इस दौरान अधिकार अभिलेख संधारण की कार्रवाई के निम्नलिखित प्रक्रम यथा तरमीम, मुकाबला, जाँच, सफाई तथा तरतीब प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियम 14 के उपनियम (6) के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख प्रपत्र 20 में रैयतवार निर्धारित लगान तालिका को प्रविष्ट करते हुए संधारण का कार्य किया जाता है तथा अंतिम रूप से तैयार किए गये अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतियाँ जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के उपरांत नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसार विहित स्थानों पर प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है।

8. अंतिम अधिकार अभिलेख के वितरण की कार्रवाई एवं संधारण–अंतिम अधिकार अभिलेख की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद [नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसार] चार प्रतियों में तैयार अधिकार अभिलेख (खतियान) के प्रत्येक पृष्ठ पर बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मुहर (फिक्सीमली)/डिजिटल हस्ताक्षर दिया जाना है। तत्पश्चात् नियम 14 के उपनियम (6) के प्रावधान के अनुसार अधिकार अभिलेख की **एक प्रति** जो रैयत से सम्बन्धित होगी 'रैयती फर्द' कहलाएगी, सम्बन्धित रैयतों को उपलब्ध करायी जाएगी।

द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु सम्बन्धित अंचल अधिकारी को भेज दी जाएगी।

तृतीय प्रति जो 'मालिकी फर्द' कहलाएगी, पूर्ण अभिलेख एवं मूल नक्शा सहित सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता को उपलब्ध करायी जाएगी।

चतुर्थ प्रति परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार की अभिरक्षा में रहेगी।

धारा 14. डिजिटल प्रारूप में अभिलेख का संधारण–सृजित अभिलेखों की प्रति को, विहित रीति से डिजिटल प्रारूप में संधारित किया जा सकेगा।

●